[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–33 एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) यह 30 अक्तूबर, 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 11 का संशोधन ।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 11 में,–

(i) उप–धारा (5) में, "विशेष महाधिवेशन" शब्दों के स्थान पर, "विशेष अधिवेशन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–धारा (7 क) में,–

(क) अंत में विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :–

"परन्तु किसी सरकारी स्कीम के चिह्नित पात्र लाभार्थियों पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए अथवा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु, ग्राम सभा के चालीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी। यदि अधिवेशन हेतु नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच एक घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि एक घंटे की ऐसी अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है, तो सरपंच, अधिवेशन को अगले दिन या ऐसे दिन के ऐसे समय तक, जो वह निश्चित करे, स्थगित कर देगा। केवल वही कारबार, जिसे अधिवेशन के समक्ष लाया जाना था, स्थगित अधिवेशन में लाया जाएगा और संव्यवहारित किया जाएगा और ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से ऐसे अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। यदि स्थगित अधिवेशन में ग्राम सभा के तीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति नहीं होती है, तो आगामी अधिवेशन में ग्राम सभा के बीस प्रतिशत सदस्यों से गणपूर्ति होगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान प्रावधान के अनुसार, किसी भी सरकारी योजना के चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता का अनुमोदन और ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा अपनी बैठक में अपने सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, की गणपूर्ति के साथ किया जाता है, जबकि किसी भी सरकारी योजना के चिन्हित लाभार्थियों पर विचार और अनुमोदन करने या ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु, ग्राम सभा के अधिक से अधिक सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस्ती योजना के चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

कृष्ण लाल पंवार,
विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2025

राजीव प्रसाद,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 से उद्धरण

11(1) से (4) XXXXXXXX

(5) यदि उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित महाधिवेशन अथवा उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित विशेष महाधिवेशन नहीं बुलाया जाता है तो खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी ऐसा अधिवेशन बुलाएगा।

(6) XXXXXXXX

(7) XXXXXXXX

(7क) ग्राम सभा के किसी सामान्य अधिवेशन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों का एक बटा दस अथवा तीन सौ सदस्यों, जो भी कम हो, से गणपूर्ति करेंगे।"

12289–H.V.S.–H.G.P., Pkl.